भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 867
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

आंध्र प्रदेश में बहुविषयक अनुसंधान इकाइयाँ

867. श्री दग्गुमल्ला प्रसाद राव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान बहुविषयक अनुसंधान इकाइयां (एमआरयू) स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) स्थापना के लिए अनुमोदित एमआरयू की कुल संख्या कितनी है तथा पूरा किया गया और चालू अनुसंधान कार्य, आवंटित धनराशि और पूरा करने के लिए आवश्यक समय-सीमा क्या है;
(ग) आज तक देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, राज्यवार, कार्यरत मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों (एमआरएचआरयू) की कुल संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार का देश में ऐसी और इकाइयां स्थापित करने का विचार है या क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): महोदय, (i) बहुविषयक अनुसंधान इकाइयों की स्थापना और (ii) मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की योजना देश भर में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना की दो उप योजनाएं हैं। इस योजना की अवधारणा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और यह 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 के तहत चल रही योजना है। आंध्र प्रदेश राज्य में 4 एमआरयू सहित कुल 118 एमआरयू पहले ही देश में स्वीकृत और स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 05 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 15वें वित्त आयोग अवधि के दौरान एमआरयू के स्थापना के लिए धन के आवंटन एवं आवर्ती अनुदान के माध्यम से दी जा रही सतत सहायता से संबंधित विवरण अनुलग्नक-I में हैं।

(ग): देश में कुल 36 मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयाँ (एमआरएचआरयू) संचालित हैं। देश में संचालित एमआरएचआरयू की राज्यवार सूची अनुलग्नक-II में है।

(घ): 15वें वित्त आयोग अवधि के तहत 30 एमआरयू एवं 11 एमआरएचआरयू की स्थापना की जानी है। 30 एमआरयू की स्थापना का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। निर्धारित 11 एमआरएचआरयू में से 08 एमआरएचआरयू पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 03 एमआरएचआरयू की स्थापना 15वें वित्त आयोग अवधि के दौरान प्रस्तावित है।

अनुलग्नक-I

एमआरयू को अनावर्ती और आवर्ती अनुदान

अनावर्ती अनुदान

(करोड़ रुपएमें)

सिविल निर्माण	0.25
उपकरण	2.00 (संतोषजनक कार्य निष्पादन और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन 1.00 करोड़ रुपये की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा)

आवर्ती अनुदान

(करोड़ रुपए में)

वेतन (प्रति वर्ष)	0.28
आकस्मिक व्यय/उपभोग्य वस्तुएं/प्रशिक्षण आदि (प्रति वर्ष)	0.20

एमआरएचआरयू को वार्षिक अनावर्ती और आवर्ती अनुदान

अनावर्ती अनुदान

(करोड़ रूपये में)

सिविल निर्माण	2.075 (1.00 करोड़ रुपये और 1.075 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी किया जाएगा)
उपकरण	1.00 (0.50 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी किया जाएगा)

आवर्ती अनुदान

(करोड़ रूपये में)

वेतन	0.42 प्रति वर्ष
आकस्मिकता, उपभोग्य वस्तुएं, प्रशिक्षण आदि।	0.50 प्रति वर्ष

अनुलग्नक - II

एमआरएचआरयू की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य	एमआरएचआरयू की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	1
5.	बिहार	1
6.	छत्तीसगढ	1
7.	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	1
8.	गुजरात	1
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	1
12.	झारखंड	2
13.	कर्नाटक	1
14.	केरल	1
15.	मध्य प्रदेश	1
16.	महाराष्ट्र	2
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नगालैंड	1
20.	उड़ीसा	2
21.	पंजाब	1
22.	पुदुचेरी	1
23.	राजस्थान	1
24.	तमिलनाडु	2
25.	त्रिपुरा	1
26.	तेलंगाना	1
27.	उत्तर प्रदेश	5
28.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	36

*****